



मध्य प्रदेश कायदापरीक्षण भू-अभिलेख
(खुरसरी)
प्रमाण पत्र (विभाग 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-संस्करण संहिता (भू-संरक्षण तथा भू-अभिलेख) विभाग, 2020

CLR No.: 11133764391

CLR No. : 11133764391												मध्य प्रदेश पुरावस्तु सचिवा (पू-संरक्षण तथा पु-संरक्षण)	
ग्राम: खिरनिया			पटवारी रुका: बमहारी			तहसील: शिवपुरी			जिला: शिवपुरी			वर्ष: 2024-2025	
पुर्ति के माग की शीर्ष	पुर्ति के माग का प्रकार (संख्याक संख्याक संख्याक की दशा में)	पू-खण्ड (खण्ड संख्याक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पुर्ति उपयुक्त विवरण 3. पु-संख्या/पु-पत्रक (सं. में)	1. पुर्ति/स्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पुर्ति	प्रत्येक पुर्ति स्वामी का अंश	1. सरकारी पुर्ति का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौज्बी कचक (पट्टे कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पुर्ति पर विद्यमान तथा प्रमाण 1. क्षेत्रक 2. दृष्टिकोण 3. पु-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारी		वर्ष के सिवाई संबंधी प्रारिथ्यति		
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
105054 1942 83M7Z5 DAOD2 9H0	41 (S)		123.7000 हेक्टेयर रु. 0.00	(शासकीय)							जंगल पैरमुम 9.4700 पट्टा 114.2300		
श्रीमान न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र.क्र.-106/2017-18/अ-20 3 /मजदूर आदेश दिनांक-20.04.18 से जल संसाधन विभाग की नवीन प्रस्तावित संरक्षण एवं पु-र सनघटा मध्य परियोजना के दूर परिक्षेत्र में वन विभाग की पुर्ति जाने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को संपूर्ण रकबा हस्तांतरित किया जाता है।													



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.10.21 10:13:43 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khassra Copy
CLR No.: 11133764391



CLR No. : 11133764450

मध्य प्रदेश कागज़ीकरण भू-अभिलेख
रजिस्ट्रार
प्रमाण एक (विषय 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व तथा भू-अभिलेख) विषय, 2020



ग्राम: खिरिया			पटवारी हल्का: बगवारी			तहसील: खिरिया			जिला: खिरिया		वर्ग: 2024-2025
भूमि के भाग की श्रेणी आई	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सत्यापक / ब्लॉक दशा में)	पू. खण्ड (हैक्टर/वर्ग मीटर में)	1. क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग 3. किसके लिए निर्धारित किया गया है 3. पू. राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कबूत (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रसार 1. वंशक 2. दृष्टिकोण 3. पू. अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. फसल 2. खरीक 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलेज संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04938 275	40/2 (S)		145.5700 हेक्टेयर	(शासकीय)							जंगल भू-भाग, 65.5100 घेराव 80.0600
3ML65 AQB 40			रु. 0.00								





CLR No. : 11133764617

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
युसरा
प्रारूप एक (विषय 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संवर्धन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: जुगरी			पटवारी हत्की: करईकरऊ			तहसील: विजपुरी			जिला: विजपुरी		वर्ष: 2024-2025
पूँजि के पान की युनिक आईडी	पूँजि के पान का प्रकार (संस्था संस्थाक /लैंड संस्थाक)	पू. खण्ड (संस्थाक की दशा में)	1. क्षेत्र (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पूँजि उपयोग जिसके लिए नियंत्रण किया गया है 3. भू- राजस्व/भू- पाटक (रु. में)	1. भूस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पूँजि	प्रत्येक पूँजि का स्वामी अथवा	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृपा (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पूँजि पर विज्ञापन तथा प्रचार 1. बंधक 2. दृष्टिक 3. भू-अर्जन का नाम तथा निवास का पता	कसल के बारे 1. कसल क्षेत्रफल 2. खेती 3. खेती 4. अन्य	कसल के अधीन क्षेत्रफल	1. पूँजि के सिवाई संबंधी प्राप्ति 2. पूँजि पर सखना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टि के सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119965 5123 83M43A DAQY8 5H0	197 (S)		54.6400 (हेक्टेयर) पहाड 0.0000 रु. 0.00	(शासकीय)							





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खुसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संवर्धन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No.: 11133763884

ग्राम: खिरनिया											
पूँजि के पान की याचिका और/हो	पूँजि के पान का प्रकार (संवर्धन संख्या/हॉटेल/हॉटेल की संख्या)	पूँजि (हेक्टर/वर्ग मीटर में)	पटवारी हत्का: बगहासे	तहसील: खिरपुरी	जिला: खिरपुरी	वर्ष: 2024-2025					
			1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. पूँजि उपयोग जिसके लिए किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि का स्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 1. सरकारी भूखेती का पता, उसकी माता/पिता/पति का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	माल्की कब्जा (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पूँजि पर विज्ञापन तथा प्रचार 1. बंधक 2. दृष्टिगत 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के खोरे 1. फसल 2. खी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. पूँजि के सिवाई संबंधी प्राप्तिशक्ति 2. पूँजि पर संरचना/वृत्त 3. अन्य अधिभूक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलेज संख्या (1) से (9) तक में प्राप्तिशक्ति में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100153	2 (S)		69.7100	(शासकीय)							
3555			हेक्टेयर रु. 0.00								फसल 69.7100
83N30L DAQFO SHO											





ग्राम: खिरनिया			पटवारी हस्ता: बम्हारी			तहसील: खिरपुरी			जिला: खिरपुरी		वर्ष: 2024-2025
पूँसि के पान की शानिकी और डी	पूँसि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	पूँसि खण्ड संख्याक (ब्लॉक मीटर में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पूँसि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पूँसि राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. पूँसिस्थानी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पूँसि पता	प्रत्येक पूँसि स्थानी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मंजूरी कथक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पूँसि पर विज्ञापन तथा प्रचार 1. बंधक 2. इतिवृत्तक 3. पूँसि-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में		1. पूँसि के सिवाई संबंधी प्राप्ति 2. पूँसि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100596 1702	5 (S)		18.4000 हेक्टेयर	(शासकीय)							
83MRN 9DAOC 1HH0			प्लॉट 18.4000 रु. 0.00								





CLR No. : 11133764418

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
दुसरी
प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संवर्धन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: खिरिया			पटवारी हकका: बगहरी			तहसील: खिरपुरी			जिला: खिरपुरी		वर्ष: 2024-2025
पुमि के पान की आइडी	पुमि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	पू-खण्ड संख्याक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पुमि उपयोग जिसके लिए किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. पुमिस्वामी का नाम, उसकी माता पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पुमि	प्रत्येक पुमि का स्थानी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	माल्की कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पुमि पर विद्यमान तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिकर्ज 3. भू-अर्जन प्राप्तिस्थिति	फलज के ब्यौरे		1. पुमि के सिवाई संबंधी प्राप्तिस्थिति 2. पुमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्राप्तिस्थितियों में सुधार के आदेश
									फलज	फलज के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100733 6957 83MR45 DAQFU BH0	6 (S)		20.7100 हेक्टेयर रु. 0.00	(शासकीय)							



भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन अधिसूचित करने के लिये अधिसूचना प्रारूप तैयार करने हेतु चैकलिस्ट

बिन्दु क्रमांक-8 उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (अधिपत्य सौंपने) का प्रमाण पत्र :-

कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक / 0198 / अ-20(3) / 2022-23 / 606 आदेश दिनांक 19.05.2023, प्रकरण क्रं. / 106 / 2017-18 / अ-20(3) / नजूल / 1902 दिनांक 20.04.2018, संशोधित आदेश प्रकरण क्रं. / 0106 / अ-20(3) / 2017-18 / 145 दिनांक 09.08.2024 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रं. / 0106 / अ-20(3) / 2017-18 / 222 दिनांक 08.10.2024 से वन विभाग के सनघटा (ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम झिरनिया की निम्नानुसार राजस्व भूमि हस्तांतरित एवं नामांतरित की गई है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (है.में)
1.	झिरनिया	02	69.710
2.	झिरनिया	05	18.40
3.	झिरनिया	06	20.710
4.	झिरनिया	40 / 2	80.06
5.	झिरनिया	41	114.23

उक्त गैर वन भूमि जो वन विभाग के नाम से हस्तांतरित एवं नामांतरित की गई है, का अधिपत्य वन विभाग को सौंपनी संबंधी कब्जा रसीद संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- कब्जा रसीद की छायाप्रति


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग शिवपुरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025—ज्येष्ठ 9, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2025

क्र. ई-1-52-2025-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-12-2025-AIS-I (S.II & III), दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा सुश्री छाया सिंह, परिवीक्षाधीन भाप्रसे (MP:2024) को श्री मोहित कसनिया, भाप्रसे (RJ:2022) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से राजस्थान संवर्ग स्थानांतरित किया गया है।

(2) राज्य शासन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री छाया सिंह, परिवीक्षाधीन भाप्रसे (MP:2024) को राजस्थान संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

क्र. ई-5-1062-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 30 मई से 4 जून 2025 तक, छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 29 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा

2941

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 18, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान उपयोग	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
1	झिरनिया	झिरनिया डोगरी	शासकीय राजस्व भूमि	41 40/2 197	114.23 80.06 54.640	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 90/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1, 12 एवं 13 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक/ 14/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 14/1 से आरक्षित वनखण्ड डोगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 तक वन सीमा। दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड डोगरी के मुनारा क्रमांक 6/1 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 85/1 से 90 एवं 90/1 तक वन सीमा।
			योग		248.93	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01 /2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 248.93 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0198/अ-20(3)/2022-23/606 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक 0199/अ-20(3)/2022-23/607 दिनांक 19-05-2023 प्रकरण क्रमांक/106/2017-18/अ-20(3)/नजूल/आदेश दिनांक 20-04-18 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3)/2017-18 दिनांक 09-08-24 आदेश प्रकरण क्रमांक/0106/अ 20(3)/2017-18 दिनांक 08-10-24 से 248.93 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil : - Shivpuri
Forest Range : - Satnawara

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Jhirniya	Jhirniya Jhirniya Dongri	Revenue Land	41 40/2 197	114.23 80.06 54.640	North – Artificial forest boundary from Pillar No. 90/1 of Reserved Forest Block Chorpura to Pillar Nos. 1, 12, and 13 of Protected Forest Block Jhirniya, up to Pillar No. 14/1 of the Reserved Forest Block. East – Forest boundary from Pillar No. 14/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari. South – Artificial forest boundary from Pillar No. 6/1 of Reserved Forest Block Dongari to Pillar No. 85/1 of Reserved Forest Block Chorpura. West – Forest boundary from Pillar No. 85/1 to Pillar Nos. 90 and 90/1 of Reserved Forest Block Chorpura.
				Total	248.93	

A. Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01/2022-FC

dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER) Medium Irrigation Project of project By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 248.93 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0198 /A-20(3) 2022-23/606 order dated 19-05-2023, Order No. 0199 /A-20(3) 2022-23/607 order dated 19-05-2023, order No. 106/2017-18/A-20(3) Nazul Order dated 20-04-2018, revised order No. 0106/A-20(3)/2017-18 Order dated 09-08-2024 and revised order No. 0106/A-20(3)/2017-18 Order dated 08-10-2024 of 248.93 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 18, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - संतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
9	झिरनिया (I)	झिरनिया	राजस्व भूमि	02 05 06	69.71 18.40 20.71	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 9/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 23/1 से 18/1 तक वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड मोहिनी के मुनारा क्रमांक 18/1 से संरक्षित वनखण्ड झिरनिया के मुनारा क्रमांक 4, 7, 9 एवं 12 से आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड चोरपुरा के मुनारा क्रमांक 4/1 से 9 एवं 9/1 तक वन सीमा।
			योग		108.82	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01/2022-एफ सी दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य पालन यंत्री जल संसाधन शिवपुरी में प्रभावित 349.00 हेक्टेयर वनभूमि के एयज में प्राप्त 108.82 हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक 19.05.2023 से 108.82 हेक्टेयर हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0250-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2025

No./PCCF/7/0250/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil :- Shivpuri
Forest Range :- Satnawara

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Jhirniya (I)	Jhirniya	Revenue Land	02 05 06	69.71 18.40 20.71	North – Artificial forest boundary from Pillar No. 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura to Pillars No. 1 to 3 of Protected Forest Block Jhirniya, and up to Pillar No. 23/1 of Reserved Forest Block Mohini.

						East – Forest boundary from Pillar No. 23/1 to Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini.
					Total 108.82	South – Artificial forest boundary from Pillar No. 18/1 of Reserved Forest Block Mohini to Pillars No. 4, 7, 9, and 12 of Protected Forest Block Jhimriya, and then to Pillar No. 4/1 of Reserved Forest Block Chorpura.
						West – Forest boundary from Pillar No. 4/1 to Pillars No. 9 and 9/1 of Reserved Forest Block Chorpura.

A. Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8-01/2022-FC dated 08-07-2024 and in lieu of 349 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sangatha (AER) Medium Irrigation Project of project. By the EE WRD Shivpuri the above mentioned Revenue Land of 108.82 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0198/A -20 (3)/2022-23/606 Order dated 19-05-2023 of 108.82 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

पंचनामा

हम उपस्थित पंचजन, अधिकारी एवं कर्मचारीगण पंचनामा लिख देते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के संशोधित प्र.क्र.- 0106/अ-20(3)/2017-18 आदेश दिनांक- 09/08/2024 संशोधित आदेश क्रमांक- 08/10/2024 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 41 के रकबा- 123.70 हैक्टेयर में से 114.23 हैक्टेयर राजस्व भूमि, प्र.क्र.- 0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 2 रकबा- 69.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 5 रकबा- 18.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 6 रकबा- 20.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 40/2 के रकबा- 145.57 हैक्टेयर में से 80.06 हैक्टेयर राजस्व भूमि तथा प्र.क्र.- 0199/अ-20(3)/2022-23/607 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- डोंगरी के भूमि सर्वे क्रमांक- 197 रकबा- 54.64 हैक्टेयर राजस्व भूमि, सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वनविभाग भोपाल (म.प्र.) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है जिसका सीमांकन कर वनविभाग को मौका कब्जा देने हेतु श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा के आदेश क्रमांक/री/2024/573 आदेश दिनांक- 10/07/2024 द्वारा गठित राजस्व दल, डिप्टी रेंजर वन विभाग धौलागढ़, बीट गाई (बम्हारी, डोंगरी, धौलागढ़), चौकीदार वन विभाग, एवं SDO जल संसाधन विभाग म.प्र., प्रोजेक्ट मैनेजर जल संसाधन विभाग, सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग दिनांक- 13.10.2024 को मौके पर उपस्थित हुए। श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा के आदेश क्रमांक/री/2024/573 आदेश दिनांक- 10/07/2024 द्वारा गठित राजस्व दल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के संशोधित प्र.क्र.- 0106/अ-20(3)/2017-18 आदेश दिनांक- 09/08/2024 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 41 के रकबा- 123.70 हैक्टेयर में से 114.23 हैक्टेयर राजस्व भूमि, प्र.क्र.- 0198/अ-20(3)/2022-23/606 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- झिरनिया के भूमि सर्वे क्रमांक- 2 रकबा- 69.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 5 रकबा- 18.40 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 6 रकबा- 20.71 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक- 40/2 के रकबा- 145.57 हैक्टेयर में से 80.06 हैक्टेयर राजस्व भूमि तथा प्र.क्र.- 0199/अ-20(3)/2022-23/607 आदेश दिनांक- 19/05/2023 द्वारा ग्राम- डोंगरी के भूमि सर्वे क्रमांक- 197 रकबा- 54.64 हैक्टेयर राजस्व भूमि का डिप्टी रेंजर वन विभाग धौलागढ़, बीट गाई (बम्हारी, डोंगरी, धौलागढ़), चौकीदार वन विभाग, एवं SDO जल संसाधन विभाग म.प्र., प्रोजेक्ट मैनेजर जल संसाधन विभाग, सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग एवं उपस्थित ग्रामिणों के समक्ष सीमांकन कर सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले कुल - 357.75 हैक्टेयर राजस्व भूमि का मौका कब्जा वनविभाग भोपाल (म.प्र.) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिया गया।

पंचनामा उपस्थित पंचजनों, अधिकारी एवं कर्मचारीगणों द्वारा पढ़ा, सुना एवं समझा गया जो सत्य व सही है वक्त जरूरत काम आवें।

Narain Pankaj

18/10/2024

पंचनामा अधिकारी
अधीन नरेंद्र

Ravi Ranjan
800
WASD

18/10/2024

Reena
PH/10

अधीन नरेंद्र
अधीन नरेंद्र

M. K. (E. S. W. S.)
18/10/2024

मनीष कुमार
अधीन नरेंद्र

Hyadar
18/10/2024

अधीन नरेंद्र